रजिस्टर सं० डी--(डी)--73

REGISTERED NO. D--(D)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 1981 (वैशाख 12, 1903)

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 1981 (VAISAKHA 12, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग--I खंड 1--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . .	357
भाग I--खंड 2--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	561
भाग I--खंड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .	--
भाग I--खंड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	557
भाग II--खंड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खंड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग III--खंड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खंड 3--उप-खंड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों) (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिन में सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . .	*
भाग II--खंड 3--उप-खंड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II--खंड 3-क--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उप विधियां भी शामिल हैं) (के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ) ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं . . .	*
भाग II--खंड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खंड 1--उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . . .	5905
भाग III--खंड 2--पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	217
भाग III--खंड 3--मुख्य-आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	45
भाग III--खंड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1183
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . . .	77
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु आदि के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

* पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	357
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	561
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	557
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION I-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committees on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3-A.—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in section 3 or section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5905
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	217
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	45
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1183
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	77
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली दिनांक 18 अप्रैल, 1981

सं० 30-प्रेस/81—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी की उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मंगल सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
नवादा,
बिहार।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

10 जून 1978 को गांव कहुआरा में मुखिया के चुनाव की पूर्वसंध्या को गांव के दक्षिण भाग के ग्रामवासियों तथा मतदाताओं ने कुछ असामाजिक तत्वों की सहायता से गांव के हरिजनों पर आक्रमण कर दिया ताकि वे मतदान देने न आ सकें। उन्होंने मतदान केन्द्र पर बम फैंके और मतदान में गड़बड़ करने की कोशिश की। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। क्षेत्र के विधायक श्री भक्तु महतो भी चुनाव में एक उम्मीदवार थे। उन्होंने अनियंत्रित भीड़ को शांत करने का प्रयत्न किया। लेकिन श्री महतो को देखकर भीड़ उत्तेजित हो गई और बमों से उन पर आक्रमण किया। भीड़ ने स्कूल के भवन में स्थित मतदान केन्द्रों पर भी आक्रमण किया जिससे पोलिंग अधिकारियों की जान खतरे में पड़ गई। श्री महतो और पोलिंग अधिकारियों ने स्कूल में शरण ली। परन्तु स्कूल की छत हिंसक भीड़ ने उड़ा दी। पुलिस निरीक्षक श्री मंगल सिंह को मामले की सूचना दी गई जो चलते फिरते गश्ती पुलिस दल के प्रभारी थे। श्री मंगल सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और बल का प्रयोग करते हुए दृढ़तापूर्वक भीड़ को तितर-बितर करने लगे। इसके परिणामस्वरूप भीड़ और अधिक हिंसक हो गई क्योंकि श्री महतो को मारने और मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने का उनका ध्येय विफल कर दिया गया था। दोनों ओर से पुलिस दल पर भी बम फैंके गए। श्री मंगल सिंह डटे रहे और उत्तेजित भीड़ को पीछे धकेल दिया। उनके पैरों, जांघ और छाती में नौ घाव लगे। वे खून से लथपथ हो गए किन्तु अपने जख्मों की परवाह न करते हुए मतदान केन्द्र तक पहुंच गए और श्री महतो को अपने कंधों पर उठा लिया। श्री मंगल सिंह ने पोलिंग अधिकारियों की जानें भी बचाई और हिंसक भीड़ का पीछा किया। स्थगित किए गए मतदान को फिर से शुरू कराया गया और हरिजनों तथा कमजोर वर्गों को अपने मत डालने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। यद्यपि श्री मंगल सिंह से इलाज के लिए तुरन्त अस्पताल जाने का आग्रह किया गया फिर भी उन्होंने मतदान समाप्त होने तक वह स्थान नहीं छोड़ा।

इस कार्रवाई में श्री मंगल सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च-कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 जून 1978 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 1981

नियम

सं० 6-2-81 के०सं०-I—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए वर्ष 1981 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं —

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) सहायक सामान्य संवर्ग का ग्रेड IV।
(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड,
(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड;
(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड और
(v) भारत सरकार के अन्य विभागों/संगठनों और संबद्ध कार्यालयों में सहायकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं हैं।

1. कोई भी उम्मीदवार ऊपर की किसी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता कर सकता है। वह इनमें से जितनी सेवाओं/पदों के लिए विचार किया जाना चाहता है, उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर सकता है।

ध्यान दें— उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों, उनकी वरीयता क्रम स्पष्ट रूप से लिख दें।

उम्मीदवार द्वारा निर्दिष्ट उन सेवाओं/पदों, जिनके लिए वह प्रतियोगी है, के वरीयता क्रम में परिवर्तन से संबद्ध किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणामों की "रोजगार समाचार" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएंगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों से अभिप्राय निम्नलिखित आदेशों में उल्लिखित जातियों/जन जातियों में से किसी एक से है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघराज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति) सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर

पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश दिये, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 (संविधान) (अनुसूचित जन जाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन और दियु) अनुसूचित जन जातियां, आदेश, 1968 संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार संयुक्त गणराज्य पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जांबिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिनके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र, आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वार आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का न हो, उसे तीन प्रयास से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबन्ध वर्ष 1962 की परीक्षा के समय लागू है।

नोट 1—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिए मान लिया जाएगा कि वह उक्त परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सब सेवाओं/पदों के लिए एक प्रयास कर चुका है।

नोट 2—यदि कोई उम्मीदवार वस्तुतः एक या अधिक विषयों में बैठा हो तो यह मान लिया जाएगा कि वह परीक्षा के लिए एक प्रयास कर चुका है।

नोट 3—उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उसके द्वारा लिया गया एक अवसर गिना जाएगा चाहे वह परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाए। उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि 1 जनवरी 1981, को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो किन्तु पूरे 25 वर्ष की आयु न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1956 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1961 के बाद न हुआ हो।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों तथा साथ में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के अधीन विभागों/कार्यालयों या चुनाव आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालयों या लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में कम से कम 3 वर्ष की लगातार तथा नियमित सेवा 1 जनवरी, 1981 तक कर लेने वाले लोअर डिवीजन क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों/स्टेनोग्राफर ग्रेड घ के मामले में 30 वर्ष की आयु तक ढील दी जा सकेगी।

ऐसे पदों पर कार्य कर रहे उम्मीदवार जिनका पदनाम लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर घ नहीं है इस उप नियम के अन्तर्गत आयु में छूट पाने के पात्र नहीं होंगे भले ही उनके द्वारा धारित पद समान वेतनमान के ही क्यों न हों।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।

(vi) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(vii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक, आठ वर्ष।

(viii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(ix) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कर्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xi) 1971 के भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिए, अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xii) वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति के हों, अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xiii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

नोट —जिस उम्मीदवार को नियम 6(ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं किन्तु आवेदन पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

जो लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर ग्रेड घ सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन लेकर किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त है या जिसका किसी अन्य पद पर स्थानांतरण हो जाता है किन्तु जिस पद से स्थानांतरित हुआ है, उस पर उसका लियन बना रहता है, वह यदि अन्यथा उपयुक्त हुआ तो परीक्षा में प्रवेश का पात्र बना रहेगा।

7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विश्वविद्यालय की या संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा-संस्था की डिग्री होनी चाहिए।

टिप्पणी I—ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष हो रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

टिप्पणी II— कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी III—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

8 जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हों चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हों, पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों, उन सब को इस आशय का परिवचन (अन्डरटेकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा-6 में निर्धारित फीस देनी होगी।

12. जिस उम्मीदवार ने

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे व्यक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो।

(xi) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए आयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक।

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो

13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांको के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गए हो।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यताक्रम में उनका कोई भी स्थान हो, नियुक्ति के लिए अनुशंसित किये जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

15. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के परिणाम पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताए गए वरीयताक्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा (दृष्टव्य : आवेदन-अपत्र का कालम 22)।

16. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी। यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

17. उम्मीदवार को सहायक ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टाइपिंग पास करनी होगी। यदि वे निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सके तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाए और परीक्षा पास कर लेने पर या उससे छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार नियत किया जाएगा उनकी वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी, परन्तु जितनी अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा।

18. जिस व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है तो वह सेवा मे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सम्बन्धित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाए। केवल उन्ही उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किए जाने की संभावना हो।

20. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

21. भारतीय विदेश सेवा (ख), रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट II में संक्षेप में दी गई हैं।

ए० एल० राजेन्द्रन, अवर सचिव

परिशिष्ट I

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1. निबन्ध	100	2 घन्टे
2. अंग्रेजी—दो भागों में (I और II)	200	3 घन्टे
भाग I		1 घन्टा
भाग II		2 घन्टे
3. अंकगणित	100	2 घन्टे
4. सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल भी सम्मिलित है	100	2 घन्टे

ध्यान दें :— यदि कोई उम्मीदवार अंग्रेजी प्रश्नपत्र के मामले में अनुमत समय-सीमा में परीक्षा भवन में नहीं पहुंचता है और उसे भाग I परीक्षा में प्रवेश नहीं किया जाता है तो वह उक्त प्रश्न पत्र की भाग II परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं होगा।

2. अंग्रेजी भाग I अंकगणित और सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल सम्मिलित है के प्रश्नपत्रों में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। ब्यौरे और पत्र के नमूने के लिए कृपया आयोग के नोटिस के साथ संलग्न अनुबन्ध II में उम्मीदवार—सूचना पुस्तिका देखें।

3. परीक्षा का पाठ्यविवरण साथ अनुसूची में दिया गया है।

4. उम्मीदवार प्रश्न-पत्र 1 या प्रश्न-पत्र 3 या प्रश्न-पत्र 4 अथवा तीनों प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में दे सकते हैं। प्रश्न-पत्र 2 का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा। निबंध, अंकगणित तथा सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल सम्मिलित है, के प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे।

नोट 1—यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिए होगा उसी प्रश्न-पत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिए नहीं।

नोट 2—उक्त प्रश्न पत्र (पत्रों) के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के कालम 14 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

एक बार लिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उसमें कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यदि उम्मीदवार प्रश्न पत्र (पत्रों) के उत्तर आवेदन पत्र में निर्दिष्ट माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम में लिखते हैं तो उन उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र (पत्रों) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

जो उम्मीदवार किसी या किन्हीं प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी में लिखने का विकल्प दे चुके हैं वे अगर चाहें तो हिन्दी की तकनीकी शब्दावली यदि कोई हो, के साथ-साथ अंग्रेजी पर्याय भी दे सकते हैं।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपनी विवेचना पर परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

(7) केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. खराब लिखाई के कारण प्रत्येक विषय के पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे।

9. निबंध तथा अंग्रेजी भाग II में कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष श्रेय दिया जाएगा।

10. प्रश्न पत्रों में, जहां आवश्यक हो तोलों और मापों की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

11. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात 1,2,3,4,5,6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची

परीक्षा की पाठ्यचर्या

(1) निबन्ध:—दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा।

(2) अंग्रेजी

अंग्रेजी भाग I : प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा इस भाषा में सही तथा प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की सामर्थ्य का पता चल सके।

अंग्रेजी भाग II : प्रश्न पत्र में इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिनसे उम्मीदवारों की अच्छी अंग्रेजी-लेखन तथा सार लेखन की सामर्थ्य का पता चल सके।

(3) अंकगणित : संख्याओं, आरेखों, प्रारम्भिक सांख्यिका तथा अंकगणित के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाएगा।

(4) सामान्य ज्ञान : जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है। सामाजिक घटनाओं का ज्ञान जो कुछ हम प्रतिदिन देखते हैं और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान जो एक साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय भूगोल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास संबंधित ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं।

परिशिष्ट II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है।

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख)

विदेश मंत्रालय में और विदेश स्थित भारतीय राजनयिक कौंसलर एवं वाणिज्यिक मिशनों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा वाणिज्य मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सम्मिलित हैं ग्रेड IV के नीचे के ग्रेडों को छोड़ कर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड	पदनाम	वेतनमान
ग्रेड I	मुख्यालयों में अवर सचिव विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर प्रथम और द्वितीय सचिव	रु० 1200-50-1600
समेकित ग्रेड II और III	मुख्यालयों में सहचारी (अताशे) और अनुभाग अधिकारी विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में उपकौंसुल और रजिस्ट्रार	रु० 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000-द०रो०-40-1200
ग्रेड IV	मुख्यालयों में तथा विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर सहायक	रु० 425-15-500 द०रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800

टिप्पणी—समेकित ग्रेड II और III में पदोन्नति सहायकों को कम से कम 710/- रु० मासिक वेतन दिया जाता है।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों। प्रशिक्षण के दौरान संतोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाएं पास न करने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नौकरी से निकाला जा सकता है।

3. परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है।

4. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य किसी सेवा संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जो चाहे भारत में अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किए जाएं सेवा करने को बाध्य होंगे।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सदस्य जब भारत में नियुक्त हों तो उन्हें अपने मूल वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते भी मिलेंगे जो केन्द्रीय सरकार के समान पद धारण करने वाले अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं। जब ये अधिकारी विदेश में नियुक्त कर दिए जाते हैं तो कुछ ऐसी रियायतें पाने के हकदार होंगे—जो इस प्रकार के लाभ के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार दी जाती हैं जैसे विदेश भत्ता निःशुल्क फर्नीचर युक्त निवास स्थान, बच्चों का शिक्षण भत्ता, सज्जा भत्ता और उनके तथा उसके परिवार आदि के लिये यात्रा भाड़ा इत्यादि। ये रियायतें ऐसे सामान्य निर्णयों के अनुसार जो कि सरकार देती है वापस ली जा सकती हैं, संशोधित की जा सकती हैं अथवा बढ़ाई जा सकती हैं।

6. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा 'ख') (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन होंगे जो सरकार भविष्य में बनाए और उक्त सेवा पर लागू करे।

7. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग सहायक के ग्रेड IV में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा) ख (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली 1964 में समाविष्ट उपबंधों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

नोट—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड I के अधिकारियों के लिए भारतीय विदेश सेवा (क) के रु० 1200 (छटा वर्ष अथवा उससे कम)-50-1300-60-1600-द०रो०-60-1900-100-2000 के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए सीमित कोटा उपलब्ध है।

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

1 चयन ग्रेड (उपसचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1500-60-1800-100-2000।

2. ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी)— रु० 1200-50-1600।

3. अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200।

4. सहायक ग्रेड — रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700-द०रो०-25-800।

टिप्पणी :—अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति सहायक कम से कम 710/- रु० प्र० मा० वेतन प्राप्त करते हैं। सहायक के रूप मे सीधे भर्ती हुए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसके दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसी परीक्षाएं देनी होंगी जो सरकार निर्धारित करे। यदि वे प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखा सके और परीक्षाएं पास न कर सके तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकता है।

परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

उक्त सेवा के सहायक ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रभावी नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियो की तरह अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नही किए जा सकते है।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इन नियमों के अन्तर्गत भर्ति हुए अधिकारी :—

(i) पेंशन लाभ के पात्र होंगे, और

(ii) गैर-अंशदायी रेलवे भविष्य निधि के नियमो के अन्तर्गत उक्त निधि में अंशदान करेंगे जोकि रेल कर्मचारियों पर उनके सेवा में सम्मिलित होने की तारीख से लागू हो जाते है।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नियुक्त कर्मचारी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो के अनुसार पास और पी०टी०ओ० के हकदार होंगे।

जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में उन पर वे ही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में है।

(iii) (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे 4 ग्रेड हैं —

(1) चयन (सेलेक्सन) ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 1500-60-1800-100-2000।

(2) ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1200-50-1600।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 650-30-740-35-810-द०रो० 35-880-40-1000-द०रो०-40-1200।

(4) सहायक ग्रेड—रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700-द०रो०-25-800।

नोट— जो सहायक अनुभाग अधिकारियो के पद पर पदोन्नत किए जाते हैं, उन्हें कम से कम 710 रु० प्रति मास वेतन दिया जाएगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा-मुक्त किया जा सकता है।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि उन्हे किसी भी समय किसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।

(5) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के पात्र होंगे।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड मे नियुक्त किया गया हो, वे अपनी इस नियुक्ति के बाद किसी अन्य संवर्ग (कैडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे।

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं —

ग्रेड	वेतनमान
(1) चयन ग्रेड (संयुक्त निदेशक या वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अफसर) (ग्रुप क)	रु० 1500-60-1800
(2) सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रुप क)	रु० 1100-50-1600
(3) सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रेप-ख-राजपत्रित)	रु० 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200
(4) सहायक (ग्रुप-ख-अराजपत्रित)	रु०425-15-500-द०रो०-15-560-20-700-द०रो०-25-800

नोट

(1) सहायक ग्रेड के अधिकारी को सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड में पदोन्नत होने पर सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 710 रु० का प्रारम्भिक वेतन दिया जाएगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों, को दो वर्ष तक परिवीक्षा में रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को किसी सेना मुख्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा योजना में शामिल हो रहे अन्तर सेना संगठनों में से किसी एक में नियुक्त किया जाएगा। तथापि उन्हें किसी भी समय इसी प्रकार के किसी अन्य मुख्यालय या कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(5) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों ग्रेड में नियुक्त हो गए है, उनका ऐसी नियुक्ति के उपरान्त इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल, 1981

संकल्प

सं० ई०-11015/2/80-हिन्दी (.)—इस विभाग के दिनांक 21-2-1978 के संकल्प संख्या ई०-11015/5/77-हिन्दी द्वारा गठित की गई हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 21-2-1981 को समाप्त हो गया है, अतः भारत सरकार ने एतद्द्वारा नई समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन, कार्य आदि निम्नानुसार होंगे :—

गठन

1. इस्पात और खान मंत्री	अध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य	
2. श्री धर्मगज सिंह, संसद सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
3. श्री के० सी० शर्मा, संसद सदस्य (लोकसभा)	सदस्य
4. श्री रामचन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य (राज्य-सभा)	सदस्य
5. श्री लाडली मोहन निगम, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
6. श्री ओम मेहता, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
7. श्री गिरिधर गोमांगो, संसद सदस्य (लोक-सभा)	सदस्य
8. डा० मो० दि० पराडकर, कुलपति बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, उद्योग मंदिर, भागोजीकीर मार्ग, महीम, बम्बई।	सदस्य
9. श्री उपेन्द्रनाथ अश्क, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 5-खुसरो बाग रोड, इलाहाबाद।	सदस्य
10. श्री जगन्नाथ मिश्र, भूतपूर्व संसद सदस्य, ग्रा० तथा डा० सुपौ, रतौली, (बाया थोथरडीहा) जिला मधुबनी (बिहार)	सदस्य
11. श्री राजेश्वर प्रसाद, ए० बी०-3, पुराना किला, रोड, नई दिल्ली।	सदस्य
12. श्रीमती कमला रत्नम, ईशान, एफ०-1/76, हौजखास एन्क्लेव, नई दिल्ली।	सदस्य
सरकारी-सदस्य	
13. सचिव (इस्पात)	सदस्य
14. राजभाषा विभाग के सचिव भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार, नई दिल्ली।	सदस्य
15. सचिव (खान)	सदस्य
16. संयुक्त सचिव (हिन्दी), खान विभाग	सदस्य
17. लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता	सदस्य
18. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
19. अध्यक्ष, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।	सदस्य
20. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्पंज आयरन (इंडिया) लिमिटेड, हैदराबाद।	सदस्य
21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर।	सदस्य
22. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, हैदराबाद।	सदस्य
23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, डोकारो (बिहार)	सदस्य
24. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि०, रांची (बिहार)	सदस्य
25. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर (कर्नाटक)।	सदस्य
26. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता।	सदस्य
27. महा-निदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता।	सदस्य
28. नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।	सदस्य
29. मुख्य-कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता।	सदस्य
30. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर।	सदस्य

31.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली।	सदस्य
32.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड, नागपुर।	सदस्य
33.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत गोल्ड-माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड (कर्नाटक)।	सदस्य
34.	संयुक्त सचिव (हिन्दी), हस्पात विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य-सचिव

2. कार्य :

इस समिति का कार्य सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित मामलों में मंत्रालय को सलाह देना होगा।

3. कार्य अवधि :

समिति का कार्यकाल, निम्नलिखित व्यवस्था के साथ, उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा :—

(क) समिति में नामजद संसद सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेंगे तभी इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ख) अवधि के बीच में रिक्त हुआ स्थान संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जाएगा और यह अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के बकाया समय के लिए सदस्य होंगे।

4. विविध :

(क) समिति आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी।

(ख) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

(ग) समिति और इस समिति की उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रदेश के प्रशासकों, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद-कार्य विभाग, लोक-सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

द० दा० बोरवणकर, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110 016, दिनांक 2 अप्रैल, 1981

विषय :—अंतर्राष्ट्रीय जल वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की अवधि में वृद्धि।

सं० 1(1)/78-(एन)-आई० एच० पी०—उपर्युक्त विषय पर 31 दिसम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या 1(1)/78 (एन)-आई० एच० पी० के अनुक्रम में अंतर्राष्ट्रीय जल वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के कार्यकाल को संघटन और विचारार्थ विषयों में किसी परिवर्तन किए बिना 30 सितम्बर, 1981 तक या जल विज्ञान की राष्ट्रीय समिति के पुनर्गठित किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

एम० जी० के० मेनन, सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल, 1981

संकल्प

सं० 11-5/78-एल० डी०-1—इस मंत्रालय के 15-4-1978 के संकल्प सं० 11-3/78-एल० डी०-1 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबन्ध समिति को 1-4-1981 से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। प्रबंध समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	श्री एस० पी० मुखर्जी अपर सचिव (ए० डी० एफ०) कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग)	अध्यक्ष
2.	श्री एम० वाई० प्रिओलकर संयुक्त सचिव (वित्त) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग)	सदस्य
3.	श्री जे० के० अरोड़ा, महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना	सदस्य
4.	श्री एन० राजगोपाल, संयुक्त सचिव (डेरी विकास), कृषि मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग)	सदस्य-सचिव

दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबन्ध समिति निम्नलिखित कार्य करेगी और शक्तियों का प्रयोग करेगी :—

(क) नीति संबंधी के सभी मामलों पर विचार करना तथा उनका अनुमोदन करना— योजना की मांगों को पूरा करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना और आवश्यक संगठनात्मक परिवर्तन करना;

(ख) सरकार को प्रस्तुत करने के लिए बजट को मंजूर करना;

(ग) वार्षिक कार्यक्रमों पर विचार करना और इसमें परिवर्तनों को मंजूर करना, जिनमें स्वीकृत कार्यक्रम के संबंध में पुनर्नियोजन की शक्तियों के प्रतिबन्धों के अनुसार पर्याप्त धनराशि का पुनः आबंटन करना शामिल है;

(घ) कार्मिक प्रबन्ध से संबंधित सभी मामलों के बारे में नीतियों पर विचार करना, सिफारिश करना तथा क्रियान्वयन करना।

(ङ) प्रबन्ध समिति उन्हीं हिदायतों का पालन करेगी जो भारत सरकार द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना से संबंधित किसी भी मामले पर समय-समय पर जारी किए जाएंगे, और

(च) प्रबन्ध समिति 19 अगस्त, 1978 के आदेश सं० 11-5/78-एल० डी-1 के अनुसार प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करेगी।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री का सचिवालय, राष्ट्रपति का सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, सचिव राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आनंद (गुजरात) सचिव, भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद महानिदेशक स्वास्थ्य, सेवा मेयर दिल्ली नगर निगम, अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका अध्यक्ष, दिल्ली दुग्ध योजना।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एन० राज गोपाल, संयुक्त सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

एशियाई खेल सेल

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 1981

संकल्प

विषय :—एशियाई खेल, 1982 में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों के प्रशिक्षण और शिक्षण की प्रगति के निरीक्षण हेतु एक समिति का गठन ।

सं० एफ० 1-14/81-ए० जी० सी० (II)—भारत सरकार ने एशियाई सेल, 1982 में भाग लेने के लिए विभिन्न विषयों में भारतीय टीमों को तैयार करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निरीक्षण और उनकी जांच के लिए श्री राम निवास मिर्धा, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय किया है ।

समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

श्री राम निवास मिर्धा, संसद सदस्य ।

सदस्य

(i) सचिव, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,

(ii) अध्यक्ष, अखिल भारतीय खेल परिषद अथवा उसका मनोनीत व्यक्ति ।

(iii) अध्यक्ष, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान सोसाइटी,

(iv) महा सचिव, एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति

(v) अध्यक्ष भारतीय ओलिम्पिक संघ/महा सचिव, भारतीय ओलम्पिक संघ ।

(vi) संयुक्त सचिव (खेल), शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ।

(vii) निदेशक (खेल), शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,

(viii) निदेशक, राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला—सदस्य सचिव ।

3. समिति को अन्य ऐसे सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा जैसा यह आवश्यक समझे ।

4. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(i) सम्बद्ध राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा तैयार किए गए तथा अखिल भारतीय खेल परिषद द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन ।

(ii) राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और सम्बद्ध विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले, एशियाई खेल 1982 के लिए भारतीय टीमों के प्रशिक्षण से संबंधित आवधिक प्रगति रिपोर्टों का पुनरीक्षण ।

(iii) जहां आवश्यक समझा जाय, शिक्षण शिविरों के कार्यों का निरीक्षण और विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों के प्रभारी राष्ट्रीय शिक्षकों से विचार-विमर्श ।

(4) इसके कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसी समितियों की स्थापना तथा ऐसे सभी उपाय करना जैसा आवश्यक समझा जाय ।

5. समिति एशियाई खेल, 1982 के लिए भारतीय टीमों और प्रतियोगियों की तैयारी से संबंधित स्थिति की रिपोर्ट प्रति माह शिक्षा मंत्री को प्रस्तुत करेगी ।

आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय ।

एस० राममूर्ति, संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 मार्च 1981

संकल्प

सं० ई० 12016/1/73-हिन्दी-क—तारीख 30 दिसम्बर, 1980 के समसंख्यक संकल्प में संशोधन करते हुए नीचे लिखे परिवर्तन किए जा रहे हैं :—

पैरा 1 'गठन' में निम्नलिखित जोड़ा जाय :

15. श्री सतपाल मित्तल, सदस्य-राज्य सभा	सदस्य
12. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

हंसमुख शाह, सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 1981

सं० एच० पी० यू०/106/81—नौवहन और परिवहन मंत्रालय के 10 जनवरी, 1978 के संकल्प संख्या एच० पी० यू० 18/75 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार उक्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है जो इस प्रकार है :—

1. नौवहन और परिवहन मंत्री	अध्यक्ष
2. नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. परिवहन सचिव	वैकल्पिक उपाध्यक्ष
4. अपर सचिव व महानिदेशक (सड़क विकास)	सदस्य
5. नौवहन महानिदेशक	सदस्य
6. अध्यक्ष, बम्बई पत्तन न्यास, बंबई	सदस्य
7. महानिदेशक, बीपघर और दीपपोत विभाग	सदस्य
8. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल	सदस्य
9. अध्यक्ष व महाप्रबंधक, शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया	सदस्य
10. अध्यक्ष व महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम	सदस्य
11 अध्यक्ष व महाप्रबंधक, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम	सदस्य
12. सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)	सदस्य
13. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)	सदस्य
14. श्री ओम मेहता, संसद सदस्य	सदस्य
15. श्री एस० मुरुगेन, संसद सदस्य	सदस्य
16. श्री शिवप्रसाद साहु, संसद सदस्य	सदस्य
17. श्री आनन्द सिंह, संसद सदस्य	सदस्य
18. श्री एस० वी० सिकलन, संसद सदस्य	सदस्य
19. श्री अंकनीडु प्रसाद राव, संसद सदस्य	सदस्य
20. श्री भगवती चरण वर्मा, संसद सदस्य	सदस्य
21. श्री सुधाकर पांडेय, संसद सदस्य	सदस्य
22. श्रीमती विद्याधेन पट्टि, संसद सदस्य	सदस्य

23. श्री हरिभाऊ कंसल	सदस्य
24. श्री अध्यात्म त्रिपाठी	सदस्य
25. श्रीमती सुमति मोरारजी	सदस्य
26. डा० चन्द्र शेखरन नायर	सदस्य
27. डा० जेम्स हेनरी आनन्द	सदस्य
28. डा० वनमाली दास	सदस्य
29. डा० के० एन० प्रसाद मागद	सदस्य
30. श्री चन्द्र गुप्त विद्यालंकार	सदस्य
31. श्री क्षेमचन्द्र सुमन	सदस्य
32. श्री जगन्नाथ मिश्र, भूतपूर्व संसद सदस्य	सदस्य
33. डा० रामधन शर्मा	सदस्य
34. श्री विष्णु प्रभाकर	सदस्य
35. श्री शैलेन्द्र	सदस्य
36. श्री आर० शौरि राजन	सदस्य
37. डा० मोरेश्वर दिनकर पराडकर	सदस्य
38. श्री ललितेश्वर श्रीवास्तव	सदस्य
39. प्रो० महीप सिंह	सदस्य
40. डा० एस० सी० वत्स	सदस्य
41. श्री के० सी० बेनीवाल	सदस्य
42. श्री मोहम्मद शमीम	सदस्य
43. डा० लक्ष्मीनारायण लाल	सदस्य
44. श्री के० अभिशंकर	सदस्य
45. प्रो० डा० सम० राजेश्वरय्या	सदस्य
46. संयुक्त सचिव (परिवहन)	सदस्य सचिव

2. कार्य :

केन्द्रीय हिन्दी समिति और गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) को हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन और मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में सलाह देना।

3. कार्यविधि :

समिति के सदस्यों की कार्यावधि इसके गठन की तारीख से 3 वर्ष होगी परन्तु :—

(1) समिति के लिए नामजद कोई ससद सदस्य, ज्यों ही संसद की सदस्यता का त्याग करेगा समिति का भी सदस्य नही रहेगा।

(2) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक समिति के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर आसीन रहेंगे जिसके कारण वे समिति के सदस्य बने हैं,

(3) यदि समिति में किसी भी सदस्य के त्याग-पत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण मध्यावधि में ही कोई स्थान रिक्त हो जाए तो ऐसे रिक्त स्थान पर नियुक्त सदस्य 3 वर्ष की अवधि तक के लिए ही पदधारी रहेगा।

समाप्य :—

(1) समिति अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए समय-समय पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है या यथावश्यक उप समितियां नियुक्त कर सकती है।

(2) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन आवश्यकता होने पर समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती हैं।

(3) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को समिति की तथा उसकी उप समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रि-मंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य और विविध तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों को भेजी जाएं।

यशवन्त सिन्हा, संयुक्त सचिव।

श्रम मंत्रालय

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1981

संकल्प

विषय —विकलांग व्यक्ति संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति।

सं० डी० जी० ई० टी०-35(7)/81-ई० ई०-I—संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने 32 वें सत्र में वर्ष 1981 को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय किया। भारत अनेक सदस्य देशों में से एक सदस्य देश है, जिसने 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष मनाने की अपनी सहमति दी।

2. हाल ही में प्रधान मंत्री ने विकलांग व्यक्तियों विशेषकर नेत्रहीन व्यक्तियों की असंतोषप्रद रोजगार स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की जबकि समाज के इस कमजोर वर्ग को आरक्षण आदेश और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। विकलांग व्यक्तियों और नेत्रहीन व्यक्तियों के पुनर्वासन से संबंधित मामलों पर श्रम मंत्रालय को सलाह देने तथा समय-समय पर इस बारे में की गई प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने विकलांग व्यक्ति संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे —

1. केन्द्रीय योजना एवं श्रम मंत्री	अध्यक्ष
2. श्रम राज्य मंत्री	सदस्य
3. उप श्रम मंत्री	सदस्य
4. सचिव, श्रम मंत्री	सदस्य
5. महानिदेशक/संयुक्त सचिव रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय	सदस्य सचिव
6. सम्पर्क अधिकारी, रेल मंत्रालय	सदस्य
7. सम्पर्क अधिकारी, रक्षा मंत्रालय	सदस्य
8. सम्पर्क अधिकारी, संचार मंत्रालय	सदस्य
9. सम्पर्क अधिकारी, गृह मंत्रालय	सदस्य
10. सम्पर्क अधिकारी, उद्योग मंत्रालय	सदस्य
11. सम्पर्क अधिकारी, पर्यटन एवं नागरिक विमानन मंत्रालय	सदस्य
12. सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय	सदस्य
13. सम्पर्क अधिकारी, समाज कल्याण मंत्रालय	सदस्य
14. सम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
15. प्रतिनिधि, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	सदस्य
16. प्रतिनिधि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	सदस्य
17. राज्य निवेशक, रोजगार, दिल्ली	सदस्य
18. प्रतिनिधि, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1-बी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली	सदस्य
19. प्रतिनिधि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 24 केनिंग लेन, नई दिल्ली	सदस्य

20 प्रतिनिधि हिन्द मजदूर सभा नगीनवास चैम्बर (द्वितीय खंड) 167 पी० डी० मैलो रोड बम्बई। सदस्य
21 प्रतिनिधि यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 249 विपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट कलकत्ता-700012। सदस्य
22 प्रतिनिधि भारतीय नियोजक महासंघ आर्मी और नेवी बिल्डिंग 148 महात्मा गांधी रोड बम्बई। सदस्य
23 प्रतिनिधि अखिल भारतीय नियोजक संगठन फेडरेशन हाऊस, नई दिल्ली। सदस्य
24 प्रतिनिधि अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन कोआपरेटिव इन्शोरेंस बिल्डिंग सर फिरोजशाह मेहता रोड बम्बई। सदस्य
25 प्रतिनिधि सार्वजनिक उद्यमकर्ता संबंधी सम्मेलन (स्कोप) स्पूर भवन नई दिल्ली। सदस्य
26 प्रतिनिधि राष्ट्रीय नेत्रहीन महासंघ, नई दिल्ली। सदस्य
27 राष्ट्रीय नेत्रहीन संगठन, बम्बई। सदस्य
28 पुरुष नेत्रहीन संघ, अहमदाबाद। सदस्य
29 अखिल भारतीय बधिर महासंघ, नई दिल्ली। सदस्य
30 इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग, बंगलौर। सदस्य
31. लिटिल फलावर स्कूल फार डेफ, मद्रास। सदस्य
32 अध्यक्ष, बधिर और मूक विद्यालय, ऐशबाग लखनऊ। सदस्य
33 सिवानन्द आर्फनेज, 20 कम्बर स्ट्रीट ईस्ट तम्बारन, मद्रास। सदस्य
34 विकलांगो के लिए समान अवसर संबंधी राष्ट्रीय सोसायटी, बम्बई। सदस्य
35 फैलोशिप आफ दि फिजीकली हैंडीकेप्ड, बम्बई। सदस्य
36 तमिलनाडु एसोसिएशन फार दि रिहैबिलिटेशन आफ दि हैंडिकैप्ड, मद्रास। सदस्य
37 डा० एस० हुसैन मनोविज्ञान विभाग, पटना कालेज, पटना। सदस्य
38 प्रो० एम० के० सिंह एंड एड पी० ओ० दुआरी "सुर्व" बरास्ता बरहरवा जिला सीतामरही, बिहार। सदस्य
39 ब्रिगेडियर के० सी० शर्मा (सेवा निवृत्त) 19 मल्ल एवेन्यू लखनऊ। सदस्य
40 श्रीमती ललिता देवी सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम मनिकपुर डाकघर और जिला गोपालगंज बिहार। सदस्य
41 श्री प्रकाश भाई मार्फत कुमारी निर्मला देशपांडे पुआर जिला वर्धा, महाराष्ट्र। सदस्य सदस्य

3 समिति के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी।

आदेश

आदेश है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश है कि यह संकल्प भारतीय राजपत्र में जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

के० एम० बराई, उप सचिव।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th April 1981

No 30-Pres/81—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police —

Name and rank of the officer

Shri Mangal Singh,
Inspector of Police,
Nawada, Bihar

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 10th June, 1978 on the eve of election of 'Mukhia in village Kahuara, the villagers and voters of the southern part of the village with the help of some unsocial elements attacked the Harijans of the village in order to keep them away from voting They hurled bombs and tried to disturb the polling They also tried to capture the polling booths Shri Bhatu Mahto, MLA of the area, who was also a candidate for the election, tried to pacify the unruly mob. But on seeing Shri Mahto, the mob became furious and attacked him with bombs The mob also attacked the polling booths, which were located in a school building and the lives of the polling officials were in danger Shri Mahto and the polling officials took shelter in the School But the roof of the School was blown up by the violent mob The matter was reported to Shri Mangal Singh, Inspector of Police who was in-charge of one of he mobile parolling Police parties Shri Mangal Singh reached the place of occurrence and started dispersing the mob forcefully and firmly, as a result of which the mob became more violent since their move to kill Shri Mahto and to capture the booths was foiled. Bombs were also thrown on the Police party from both the sides Shri Mangal Singh remained undeterred and pushed the furious mob back He received nine injuries on his legs, thigh and chest He was besmeared with blood but in utter disregard of the injuries he reached the polling booth and physically lifted Shri Mahto on his shoulders. Shri Mangal Singh also saved the lives of the polling officials and chased the violent mob The polling, which had been suspended, was resumed and the Harijans and weaker sections were given protection to cast their votes Further, even though Shri Mangal Singh was persuaded to rush to the hospital for treatment yet he did not leave the place till the polling was over.

In this action Shri Mangal Singh exhibited conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order

2 This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th June, 1978

S NILAKANTAN, Dy Secy. to the President.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

New Delhi, the 2nd May 1981

Rules

No 6/2/81CS(I) —The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1981 for the purpose of filling vacancies in the following Services/posts are published for general information

(i) Grade IV (Assistants) of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B)

(ii) Assistants Grade of the Railway Board Secretariat Service

(iii) Assistants Grade of the Central Secretariat Service,

(iv) Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service, and

(v) Posts of Assistant in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Service/Central Secretariat Service/ Armed Forces Headquarters Civil Service.

1. A candidate may compete in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above, he may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services/Posts for which he is competing would be considered unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the results of the examination in the Employment News.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order 1951 [as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976] the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 1976, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes, Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes, Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution, Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order 1970, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall be permitted more than three attempts at the examination. The restriction is effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 2.—A candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

NOTE 3.—Notwithstanding the disqualification/cancellation, the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st January 1981 i.e., he must have been born not earlier than 2nd January, 1956 and not later than 1st January, 1961.

(b) The upper age limit will be relaxable upto the age of 30 years in respect of LDCs/UDCs/Stenographers Grade D with not less than 3 years continuous and regular service on 1st January, 1981 in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the office of the Election Commission and the Central Vigilance Commission or in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.

Candidates holding posts, which are not designated as LDC/UDC/Stenographers Grade D will not be eligible for age relaxation under this sub-rule, even though the posts held by them are in identical pay scales.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person, from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March, 1971.

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964.

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania formerly Tanganyika and Zanzibar) or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

NOTE.—The candidature of a person who is admitted to the examination under Rule 6(b) shall be cancelled if after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his Department either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application

An L.D.C./U.D.C./Stenographer Grade D who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from where he is transferred will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

7. A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I.—Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivalent to professional and technical degrees will also be eligible for admission to the examination.

NOTE II.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commissions examination but have not been informed of the result as also the candidates who intended to appear at such a qualifying examinaion will *NOT* be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE III.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as workcharged employees, other than casual or daily rated employees, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred, either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under, Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination;

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Subject to other provisions contained in these rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preference expressed by a candidate for various Services/posts at the time of his application. (cf col. 22 of the application form).

16. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

17. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed periods they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

18. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

20. Success at the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

21. Conditions of Service for Assistants in the Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, the Central Secretariat Service, and the Armed Forces Headquarters Civil Service are briefly stated in Appendix II.

A. L. RAJENDRAN
Under Secy.

APPENDIX I

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

		Max Marks	Time Allowed
1	Essay	100	2 hours
2.	English in two parts (I & II) . .	200	3 hours
	Part I—		1 hours
	Part II—		2 hours
3.	Arithmetic	100	2 hours
4	General Knowledge including Geography of India	100	2 hours

N.B.—In the case of paper English, if a candidate does not reach the Examination Hall within the permissible time limit and is not admitted to the examination in Part I of the paper, he will not be entitled to be admitted to Part II of the paper.

2. The question papers in English Part I, Arithmetic and General Knowledge including Geography of India will consist of objective type questions.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer Paper I or Paper 3 or Paper 4 or all the three papers, either in Hindi (Devanagari) or in English. Paper 2 must be answered in English by all candidates. Question paper in Essay, Arithmetic and General Knowledge including Geography of India, will be set both in Hindi and in English.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid paper(s) in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in col. 6 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall be entertained.

If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used in the examination, the paper(s) of such candidates will not be valued.

Candidates who opt to answer any of the papers in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for each subject will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with the economy of words in Essay and English Part II of the examination.

10. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of weights and measures only will be set.

11. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) *Essay*—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) English :

English Part I—Papers will be designed to test the candidates' ability to understand English and write in that language correctly and effectively.

English Part II—Paper will consist of questions designed to test candidates ability to write good English and for precis writing.

(3) *Arithmetic*—There will be greater emphasis on understanding of numbers, graphs, elementary statistics and arithmetics.

(4) *General Knowledge including Geography of India*—Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subjects. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

(i) *Indian Foreign Service (B).*

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions

and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Commerce, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of Indian Foreign Service (B), excluding Grades lower than Grade IV, are as follows :

Grade	Designation	Scale of pay
Grade I	Under Secretaries at Hqrs. First and Second Secretaries in Missions and posts abroad	Rs. 1200-50-1600
Integrated Grades II & III	Attache and Section Officer at Hqrs. Vice-Consuls and Registrars in Missions and Posts abroad	Rs 650-30-710 35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200
Grade IV	Assistants at Hqrs and in Missions and Posts abroad	Rs 425-15-400-EB-15-560-20-700-EB-25-800

NOTE : Assistants promoted to the Integrated Grades II & III are allowed a minimum pay of Rs. 710/- p.m.

2. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extende for such further period as Government may think fit.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service or any other Service. Further, all such persons will be liable to serve in any posts either in India or abroad to which they may be posted.

5. While employed in India, members of the Indian Foreign Service (B) are allowed such allowances in addition to their basic pay as may be admissible to other Central Government employees holding similar posts. When posted abroad, these officers are eligible for the grant of certain concessions such as foreign allowance, free furnished residential accommodation, children's education allowance, outfit allowance and passages for themselves and for their families etc., according to the scales laid down for these benefits by the Government from time to time. These concessions are liable to be withdrawn, modified or enhanced in accordance with such general decisions as the Government may take.

6. All Officers appointed to the IFS(B), will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964 and also by other rules and regulations which the Governmnet may hereafter frame and make applicable to the Service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the IFS (B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B) Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

NOTE : In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre Seniority and Promotion) Rules, 1964, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 1200 (Sixth year or under)-50-1300-60-1600-EB-60-1900-100-2000.

(xi) *The Railway Board Secretariat Service*

The Railway Board Secretariat Service has at present 4 grades as follows :—

1. Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent) Rs. 15000-60-1800-100-2000.
2. Grade I (Under Secretary or equivalent) Rs. 1200-50 1600.
3. Section Officers Grade.—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.
4. Assistants Grade.—Rs. 425—15—500—EB—15—560 650—20..700—EB—25—800.

NOTE : Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum of Rs. 710 p.m.

Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharge from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

Persons recruited to Assistants Grade of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

The Railway Board Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Service.

Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

(i) Will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) Shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they joined the service.

The candidates appointed to the Railway Board Secretariat Service will be entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board Secretariat Service are treated in the same way as other railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iii) *Central Secretariat Service*

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent)—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent)—Rs. 1200—50—1600.

(3) Section Officers Grade—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

(4) Assistants' Grade—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—25—800.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 710 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service. They may, however,

at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in any other cadre.

(iv) *The Armed Forces Headquarters Civil Service*

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present four grades as follows :—

Grade	Scale of pay
(1) Selection Grade (joint Director or Senior Civilian Staff Officer) (Group A)	Rs. 1500-60-1800.
(2) Civilian Staff Officer (Group A)	Rs. 1110-50-1600.
(3) Assistant Civilian Staff Officer (Group B—Gazetted)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.
(4) Assistant (Group B—Non-Gazetted)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.

NOTE.—An Officer of the Grade of Assistant promoted to Grade of Assistant Civilian Staff Order shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 710/- in the scale for the Grade, of Assistant Civilian Staff Officer.

(2) Persons recruited direct as Assistant will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter-Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post not included in that Service.

MINISTRY OF STEEL & MINES

(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 9th April 1981

RESOLUTION

No. E-11015/2/80-Hindi (.).—The tenure of the Hindi Salahkar Samiti set up vide this Department Resolution No. E-11015/5/77-Hindi dated the 21st February 1978 having expired on 21st February 1981, a new Samiti is hereby constituted by the Government of India. Its composition, functions etc. will be as given hereunder :—

I. *Composition.*

Chairman

1. Minister for Steel & Mines

NON-OFFICIAL MEMBERS

Members

2. Shri Dharamgaj Singh, M. P. (Lok Sabha).
3. Shri K. C. Sharma, M. P. (Lok Sabha)
4. Shri Ramchandra Bharadwaj, M. P. (Rajya Sabha)
5. Shri Ladli Mohan Nigam, M.P. (Rajya Sabha)
6. Shri Om Mehta, M.P. (Rajya Sabha)
7. Shri Gridhar Gomango, M.P. (Lok Sabha)
8. Dr. M. D. Paradkar,
   Chancellor,
   Bombay Hindi Vidyapith
   Udyog Mandir, Bhagolkeer Marg,
   Mahim Bombay.
9. Shri Upandra Nath 'Ashk',
   Hindi Sahitya Sammelan,
   5-Khusro Bagh Road,
   Allahabad.
10. Shri Jagan Nath Mishra, Ex. M.P.
    Vill. & P. O. Sude, Ratoli
    Via Thodherdiha
    Distt. Madhubani (Bihar).
11. Shri Rajeshwar Prasad,
    A.B-3, Purana Qila Road,
    New Delhi.
12. Smt. Kamla Ratnam,
    Ishan, F-1/76, Hauz Khas Enclave,
    New Delhi

OFFICIAL MEMBERS

Members

13. Secretary, Department of Steel
14. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India,
    New Delhi.
15. Secretary Department of Mines
16. Joint Secretary (Hindi)
    Department of Mines
17. Iron and Steel Controller,
    Calcutta.
18. Joint Secretary,
    Department of Official Language
    New Delhi.
19. Chairman,
    Steel Authority of India Limited,
    New Delhi
20. Chief Executive,
    Sponge Iron (India) Limited,
    Hyderabad.
21. Chief Executive,
    Manganese Ore (India) Limited,
    Nagpur.
22. Chief Executive,
    National Mineral Development Corporation Limited,
    Hyderabad.
23. Chief Executive,
    Bharat Refractories Limited,
    Bokaro (Bihar)
24. Chief Executive,
    Metallurgical & Engineering Consultants (India) Limited,
    anchi (Bihar).
25. Chief Executive,
    Kudremukh Iron Ore Company Limited,
    Bangalore (Karnataka)

Members

26. Chief Executive,
Hindustan Steel Works Construction Limited
Calcutta.

27. Director General,
Geological Survey of India,
Calcutta.

28. Controller
Indian Bureau of Mines,
Nagpur.

29. Chief Executive,
Hindustan Copper Limited,
Calcutta.

3. Chief Executive,
Hindustan Zinc Limited,
Udaipur (ajasthan)

31. Chief Executive,
Bharat Aluminium Co. Limited,
New Delhi.

32. Chief Executive,
Mineral Exploration Corpn. Ltd.,
Nagpur.

33. Chief Executive,
Bharat Gold Mines Ltd.,
Kolar Gold Field (Karnataka)

Member Secretary

34. Joint Secretary (Hindi)
Department of Steel,
New Delhi.

II. *Functions*

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

III. *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of its composition, provided that :

(i) A member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(ii) Any mid-term vacancy shall be filed up by the concerned member's successor in office, who shall be a member for the remaining term of three years.

IV. *General*

(i) The Committee may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-committees, as may be deemed necessary.

(ii) Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meeting at any other station also.

(iii) The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the sub-committees of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministeries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gaette of India for general information.

D. D. BORWANKAR, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-16, the 2nd April 1981

SUBJECT : Extension of term of the Indian National Committee for International Hydrological Programme.

No. 1(1)/78(N)-IHP.—In continuation of the Notification No. 1(1)/78(N)-IHP dated 31st December 1980 on the above subject, the term of the Indian National Committee for International Hydrological Programme is hereby extended, without change of composition and terms of reference, upto 30 September 1981 or its reconstitution into the National Committee on Hydrology, whichever is earlier.

M. G. K. MENON, Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 2nd April 1981

RESOLUTION

No. 11-5/78-L.D.I.—In supersesion of this Ministry's Resolution No. 11-3/78-L.D.I. dated 15-4-1978, it has been decided by the Government of India to reconstitute the Management Committee for the Delhi Milk Scheme w.e.f. 1-4-1981. The constitution of the Management Committee will be as under :—

Chairman

1. Shri S. P. Mukherjee,
Additional Secretary (ADF)
Ministry of Agriculture
(Deptt. of Agri. & Coop.)

Members

2. Shri M. Y. Priolkar,
Jt. Secretary (Finance)
Ministry of Agriculture
(Department of Agri. & Coop)

3. Shri J. K. Arora
General Manager,
Delhi Mil Scheme

Member-Secy.

4. Shri N Rajagopal,
Jt. Secretary (Dairy Dev.)
Ministry of Agriculture
(Deptt. of Agri. & Coop.)

The Management Committee of Delhi Milk Scheme shall perform the functions and exercise the powers given below :—

(a) consider and approve all policy matters lay down priorities and introduce the organisational changes necessary to meet the requirements of the scheme;

(b) approve the Budget for presentation to the Government;

(c) consider and approve changes in the annual programmes, involving substantial reallocation of funds in relation to the approved programme subject to restrictions on powers of reappropriation;

(d) consider, recommend and implement policies regarding all matters pertaining to personnel management;

(e) the Management Committee shall carry out such directives as the Government of India may issue from time to time on any matter pertaining to the D.M.S.; and

(f) the Management Committee shall exercise the financial powers as has been delegated vide Order No. 11-5/78-LD.I dated 19th August, 1978.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories, all Ministries/Departments of the Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General Central Revenues, the Director, Commercial Audit, Secretary, National Dairy Development Board, Anand (Gujarat), Secretary Indian Dairy Corporation, Baroda, the Indian Council of Agricultural Research, the Director General of

Health Services, Mayor, Delhi Municipal Corporation, the President, New Delhi Municipal Committee, the Chairman, Delhi Milk Scheme.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. RAJAGOPAL, Jt. Secy. (Dairy Dev.)

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

ASIAN GAMES CELL

New Delhi, the 25th March 1981

RESOLUTION

Subject : Constitution of a Committee to monitor the progress of the training and coaching of Indian teams for participation in the Asian Games, 1982.

No. F.1-14/81-AGC(II).—The Government of India have decided to constitute a Committee under the Chairmanship of Shri Ram Nivas Mirdha M.P., to monitor and review the various training programmes for preparing Indian teams in various disciplines for participation in the Asian Games, 1982.

2. The composition of the Committee will be as follows :

CHAIRMAN

Shri Ram Niwas Mirdha, MP.

MEMBERS

(i) Secretary, Ministry of Education & Culture.

(ii) President, All India Council of Sports or his nominee.

(iii) Chairman, Society of National Institutes of Physical Education and Sports.

(iv) Secretary General, Special Organising Committee of the Asian Games, 1982.

(v) President Indian Olympic Association/Secretary General Indian Olympic Association.

(vi) Joint Secretary (Sports), Ministry of Education and Culture.

(vii) Director (Sports), Ministry of Education and Culture.

Member Secretary

(viii) Director, NIS, Patiala

3. The Committee shall have the right to co-opt such other Members as it may consider necessary.

4. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To monitor and review the various training programmes prepared by concerned National Sports Federations and approved by AICS.

(ii) To review the periodical progress reports regarding training of Indian teams for Asian Games, 1982 to be submitted regularly by NIS, Patiala and the various National Sports Federations concerned on proforma prescribed for the purpose.

(iii) To inspect the working of the coaching camps where considered necessary, and also to hold discussions with the national coaches in charge of the various coaching programmes.

(iv) To set up such Committees and to take all such steps as it may consider necessary to discharge its functions.

5. The Committee will report to the Education Minister every month the position regarding the stage of preparation of the Indian teams and competitors for Asian Games, 1982.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. RAMAMOORTHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T. BOARD)

New Delhi-110001, the 30th March 1981

RESOLUTION

No. E-12016/1/73-Hindi-A.—This Office Resolution of even number dated 30-12-1980 is amended as follows :—

In para 1 under the head Composition, the following be added :—

Members

15. Shri Sat Paul Mittal
Member of Rajya Sabha.

32. Joint Secretary,
Department of Official Language,
Ministry of Home Affairs,
New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat and all Ministries and Department of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

H. S. SHAH, Secy. P&T Board

MINISTRY OF SHIPPING AND TANSPORT

(HINDI SECTION)

New Delhi, the 25th March 1981

RESOLUTION

No. HPU/106/81.—In supersession of Ministry of Shipping and Transport's Resolution No. HPU/18/75, dated the 10th January, 1978, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salhkar Samiti in the Ministry of Shipping and Transport which is as given below :—

Chairman

1. Minister for Shipping and Transport.

Vice-Chairman

2. Minister of State in the Ministry. of Shipping and Transport.

Alternate Vice-Chairman

3. Transport Secretary.

Members

4. Additional Secretary and Director General (Road Development).

5. Director General of Shipping.

6. Chairman Bombay Port Trust, Bombay.

7. Director General, Department of Light-houses and Lightships.

8. Secretary, Border Roads Development Board.

9. Chairman and General Manager, Dredging Corporation of India.

10. Chairman and General Manager, Delhi Transport Corporation.

11. Chairman and General Manager, Central Inland Water Corporation.

12. Secretary, Department of Official language (Ministry of Home Affairs).

13. Joint Secretary, Department of Official language (Ministry of Home Affairs).

14. Shri Om Mehta, M.P.

15. Shri S. Murugen M.P.

Members

16. Shri Shiv Prasad Sahu, M.P.
17. Shri Anand Singh, M.P.
18. Shri S. V. Sidnal, M.P.
19. Shri Anka Needu Prasad Rao, M.P.
20. Shri Bhagawati Charan Varma, MP.
21. Shri Sudhakar Pandey, M.P.
22. Smt. Vidya Chenna Patti MP.
23. Shri H. B. Kansal.
24. Shri Adhyatma Tripathi.
25. Smt. Sumati Morarjee.
26. Dr. Chandra Shekharan Nair.
27. Dr. James Henry Anand.
28. Dr. Banmali Das.
29. Dr. K. N. Prasad Magad.
30. Shri Chandra Gupta Vidyalankar.
31. Shri K. C. Suman.
32. Shri Jagannath Mishra, Ex-M.P.
33. Dr. R. D. Sharma.
34. Shri Vishnu Prabhakar.
35. Shri Shailendra.
36. Shri R. Shaurirajan.
37. Dr. Moreshwar Dinkar Paradkar.
38. Shri Laliteshwar Srivastav.
39. Prof. Maheep Singh.
40. Dr. S. C. Vatsa.
41. Shri K. C. Beniwal.
42. Shri M. Shamim.
43. Dr. Lakshmi Narayan Lal.
44. Shri K. Abhishankar.
45. Prof. Dr. M. Rajeshwarayya.

Member Secretary

46. Joint Secretary (Transport).

II. *Functions* :

The Samiti will render advice on matters relating to progressive use of Hindi in day-to-day work of the Ministry and implementation of policies and instructions issued by the Central Hindi Samiti and Ministry of Home Affairs (the Department of Official Language) regarding use of Hindi for official purposes.

III. *Tenure* :

The term of office of the Members of this Samiti will be three years from the date of its reconstitution; provided that :—

(1) A member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of this Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(2) The Ex-officio members of the Samiti shall continue as such so long as they hold office by virtue of which they have gained membership of this Samiti.

(3) A mid-term vacancy caused due to resignation or death etc. of any member of the Samiti shall be filled up by his successor who shall hold office as member of this Samiti for the residue of the term of three years.

IV *General* :

(i) The Samiti may co-opt additional members or invite experts to attend its meetings or may appoint Sub-Committee as may be deemed necessary.

(ii) The headquarters of the Samiti will be at New Delhi but it can hold its meetings at another place also, if necessary.

(iii) Non-official members of the Samiti shall be paid Travelling Allowance and Daily Allowance at the rates as prescribed by the Government from time to time and as shall be admissible under rules for attending meetings of the Samiti or its Sub-Committees, if any.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be sent to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous and all Ministries and Departments of the Government of India.

YASHWANT SINHA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING

New Delhi the 4th April 1981

RESOLUTION

Subject : Central Advisory Committee on Physically Handicapped Persons.

No. DGET-35(7)/81-EE-I.—The United Nations General Assembly in its 32nd Session decided to proclaim the year 1981 as the International Year for Disabled Persons. India is one of the member countries which has given its concurrence to observe 1981 as the International Year for Disabled Persons.

2. More recently the Prime Minister has expressed her concern over the unsatisfactory employment position of the Physically Handicapped persons particularly the blind despite reservation orders and other concessions granted to this weaker section of the society. In order to advise the Ministry of Labour on matters relating to the rehabilitation of the physically handiapped persons including the blind and to review the progress made in this regard from time to time, the Government of India have decided to set up a Central Advisory Committee on Physically Handicapped Persons consisting of the following :—

Chairman

1. Union Minister for Planning & Labour

Members

2. Minister of State for Labour
3. Deputy Minister for Labour
4. Secretary, Ministry of Labour

Member Secretary

5. Director General/Joint Secretary, D.G.E.&T., Ministry of Labour

Members

6. Liaison Officer of the Ministry of Railways.
7. Liaison Officer of the Ministry of Defence.
8. Liaison Officer of the Ministry of Communications.
9. Liaison Officer of the Ministry of Home Affairs.
10. Liaison Officer of the Ministry of Industry.
11. Liaison Officer of the Ministry of Tourism and Civil Aviation.
12. Liaison Officer of the Ministry of Education and Culture.
13. Liaison Officer of the Ministry of Social Welfare.
14. Liaison Officer of the Ministry of Information and Broadcasting.
15. Representative of the Department of Personnel and Administrative Reforms.

Members

16 Representative of the Bureau of Public Enterprises

17. State Director of Employment, Delhi

18 Representative of the Indian National Trade Union Congress, 1-B, Maulana Azad Road, New Delhi

19 Representative of the All India Trade Union Congress, 24, Canning Lane, New Delhi

20 Representative of the Hind Mazdoor Sabha Nagindas Chamber (2nd Floor), 167, P D Mello Road, Bombay

21 Representative of the United Trade Union Congress, 249, Bapin Behari Ganguli, Street. Calcutta-700012.

22 Representative of the Employers Federation of India Army & Navy Building 148, Mahatama Gandhi Road, Bombay

23. Representative of the All India Organisation of Employers, Federation House, New Delhi

24 Representative of the All India Manufacturers Organisation, Co-operative Insurance Building Sir Phirozeshah Mehta Road Bombay

25 Representative of the Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE), Mavur Bhavan, New Delhi

26 Representative of the National Federation of the Blind, New Delhi.

27 National Association for the Blind, Bombay.

28 Blind Men's Association, Ahmedabad

29. All India Federation of the Deaf, New Delhi

30 Institute of Speech & Hearing, Bangalore.

Members

31 Little Flower School for the Deaf, Madras

32 Chairman, School for Deaf & Dumb, Aishbagh, Lucknow

33 Sivananda Orphanage, 20, Kambai Street, East Tambaram, Madras

34 National Society for the Equal Opportunities for the Handicapped, Bombay

35 Fellowship of the Physically Handicapped Bombay

36 Tamilnadu Association for the Rehabilitation of the Handicapped, Madras

37. Dr S Hussain, Deptt of Psychology, Patna College, Patna

38 Prof. M. K Singh, At & P O Dumari Khurd Via Barharwa, Dist Sitamarhi, Bihar

39 Brig K C Sharma (Retd) 19, Mall Avenue, Lucknow (UP)

40 Smt Lalita Devi, Social Worker, Vill Manikpur, PO & Dist Gopalganj, Bihar.

41 Shri Prakash Bhai, C/o Ku Nirmula Deshpandey, Punnar, Dist Wardha, Maharashtra

3 The term of the office of members of the Committee shall be for three years

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of the Union Territories, Cabinet Secretariate, Planning Commission Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariate

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information

K S. BAROI, Dy Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981